राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग-3, नरेगा)

एफ 40(19)ग्रावि/नरेगा/मा. मंत्री पत्रा./2010 जयपुर, दिनांकः 8 DEC 2010

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान,
समस्त राजस्थान (जयपुर जिले को छोड़कर)।

विषयः **प्रशासन गांवों के संग अभियान में महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत बनी सडकों के राजस्व रिकार्ड में अंकन बाबत।**

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि जिला कार्यक्रम समन्वयक जयपुर द्वारा प्रशासन गांवों के संग अभियान के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत बनाई गई सडकों के राजस्व रिकार्ड में अंकन हेतु निर्देश जारी किये गये है। यह एक अच्छा प्रयास है। अतः अन्य सभी जिलों को निर्देशित किया जाता है कि वहां भी प्रशासन गांवों के संग अभियान में महात्मा गांधी नरेगा के तहत बनाई गई सडकों का राजस्व रिकार्ड में अंकन सुनिश्चित किया जावे।

निजी खातेदारी से निर्मित सडकों के संबंध में सडक क्षेत्र में आनेवाली भूमि के क्षेत्रफल की गणना कर संबंधित काश्तकार से समर्पणनामा लेने तथा राजस्थान टीनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 59 के प्रावधानों के तहत तहसीलदार द्वारा समर्पणनामा सत्यापित कर राजस्व अभिलेखों में सडकों के क्षेत्र का अंकन किया जावे। सिवायचक व चारागाह भूमि में निर्मित सडकों के संबंध में शिविरों के दौरान राज. लैण्ड रेवेन्यू (लैण्ड रिकार्ड) रूल्स 1957 के नियम 59 के तहत नक्शे में अंकन कर तहसीलदारों द्वारा प्रस्ताव तैयार कर उपखण्ड अधिकारी के माध्यम से जिला कलेक्टर को स्वीकृति हेतु भिजवाये जायें। स्वीकृति जारी होने पर राजस्व रिकार्ड में सडकों तथा रास्तों की भूमि का स्थाई अंकन किया जावेगा। शिविर स्थल पर उक्त सडकों का विवरण कार्यक्रम अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाया जायेगा।

भवदीय,

7/12/10

(तन्मय कुमार)
आयुक्त एवं शासन सचिव, ईजीएस

प्रतिलिपिः—

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग जयपुर को अ.शा. टीप कमांक मंत्री / ग्राविपरा / 2000 / 2351 दिनांक 01.12.2010 के कम में सूचनार्थ।
2. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक प्रथम / द्वितीय, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, समस्त राजस्थान।
3. अधिशाषी अभियंता (एम.टी.), ईजीएस मुख्यालय को अ.शा. टीप एफ 52(1) ग्रावि / शिका. / सीएमओ / 2010 दिनांक 06.12.2010 के कम में सूचनार्थ।
4. श्री मुकेश विजय,. अधिशाषी अभियंता ईजीएस को वास्ते विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. रक्षित पत्रावली।

8/12/10.

परि. निदे. एवं उप सचिव, ईजीएस